मन्दिर न्यास श्री मणिमहेश जी, भरमौर तहसील भरमौर जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि

25-07-09 से 31.12.2016

भाग-एक

1 प्रथम अंकेक्षण

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23(2)(ग)(2)तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के भाषा व संस्कृति विभाग की अधिसूचना संख्या :-एल.सी.डी.-एफ(1)-5/2006 दिनांक 19-03-2007 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के दृष्टिगत मन्दिर न्यास श्री मणिमहेश भरमौर के अवधि 25-07-2009 से 31.12.16 तक के लेखाओं का **प्रथम अंकेक्षण**,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया है l

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी मन्दिर न्यास के अध्यक्ष व सदस्य सचिव एवं आहरण/वितरण अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे : –

अध्यक्ष एवं अतिरिक्त दंडाधिकारी :-

क्रम सं	अधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री देवा सिंह् नेगी	23-11-2008 से 04-07-2011
2.	श्री नीरज कुमार	05-11-2011 से 02-06-2012
3.	श्री बी.आर. कमल	03-07-2012 से 14-07-2013
4.	श्री जितेन्द्र कंवर (अतिरिक्त प्रभार)	15-07-2013 से 19-09-2013
5.	श्री बी.आर. कमल	20-09-2013 से 02-12-2013
6.	श्री जितेन्द्र कंवर (अतिरिक्त प्रभार)	13-12-2013 से 09-03-2014
7.	श्री लक्ष्मी कान्त शर्मा	10-03-2014 से 26-05-2014
8.	श्री जितेन्द्र कंवर(अतिरिक्त प्रभार)	27-05-2014 से 31-05-2014
9.	श्री लक्ष्मी कान्त शर्मा	01-06-2014 से 03-12-2014
10.	श्री जितेन्द्र कंवर(अतिरिक्त प्रभार)	04-12-2014 से 12-03-2015
11.	श्री लक्ष्मी कान्त शर्मा	13-03-2015 से 06-08-2015
12.	श्री सतीश कुमार चौधरी	17-08-2015 से 11-10-2015
13.	श्री जितेन्द्र कंवर(अतिरिक्त प्रभार)	12-10-2015 से 17-10-2015
14.	श्री सतीश कुमार चौधरी	18-10-2015 से 18-02-2016
15.	श्री जितेन्द्र कंवर(अतिरिक्त प्रभार)	19-02-2016 से 20-04-2016
16.	श्री विनय धीमान	21-04-2016 से लगातार

सदस्य सचिव/आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं उप मण्डल अधिकारी(ना०)

क्रम सं	**अधिकारी का नाम**	**अवधि**
1.	श्री देवा सिंह नेगी	11/2008 से 07/2011
2.	श्री नीरज कुमार	07/2011 से 06/2012
3	श्री बी.आर. कमल	06/2012 से 09/2012
4	श्री जितेन्द्र कंवर	09/2012 से 05/2017

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्रम सं	**संक्षिप्त विवरण**	**पैरा सं**	**राशि लाखों में**
1.	वर्ष 2016 में वसूली गई चढ़ावे की राशि से सम्बन्धित अभिलेख को प्रस्तुत न करने बारे	13	14.10
2.	मन्दिर न्यास द्वारा अनियमित व्यय	16	5.56
3.	अनुचित रूप से विक्रय कर व किराये के भुगतान बारे	17	1.61
4.	बिना निविदाएँ प्राप्त किए अनियमित व्यय	23	3.21
5.	बिल/वाउचर पारित किए बिना अनियमित व्यय	25	21.55
6.	बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारे	24	5.56
7.	मणिमहेश न्यास के चढ़ावे के हिस्से को हरसर पुजारियों के स्थान पर पंचायत सचिव को अनियमित भुगतान	26	0.57
8.	सोलर लाइट लागत की खरीद से सम्बंधित अनियमितताएं	27	21-55

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

मन्दिर न्यास श्री मणिमहेश,भरमौर के अवधि 25/07/09 से 31/12 /2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण /जाँच परीक्षण,जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही, अनुभाग अधिकारी व श्री प्रीतम चन्द,कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13-11-2017 से 23-11-2017 तक के दौरान मन्दिर परिसर में किया गया l आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 07/09,11/10,08/11,03/12,10/13,12/14,09/15, व 09/16 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 09/09, 08/10,08/11, 12/12, 10/13,12/14,09/15,व 09/16 का चयन किया गया l

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को मन्दिर न्यास प्रशासन द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है l

मन्दिर न्यास द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना एवं अभिलेख प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उतरदायी नही है l स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उतरदायित्व केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है l

3 **अंकेक्षण शुल्क**

मन्दिर न्यास के अवधि **25-07-09 से 31/12/16** के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क **₹18000** आंका गया है, जिसे राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को भेजने हेतु सदस्य सचिव एवं एस.डी.एम. भरमौर को अंकेक्षण अधियाचना सं० 273 दिनांक 23-11-17 द्वारा अनुरोध किया गया l

4 **वितीय स्थिति**

(क) मन्दिर न्यास श्री मणिमहेश भरमौर द्वारा प्रस्तुत अवधि **25-07-09 से 31-12-16** की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से रही :-

वर्ष	**आ.शेष**	**आय**	**अनुदान**	**ब्याज**	**जोड़**	**व्यय**	**अंत शेष**
2009	--	650000	---	2698	652698	170792	481906
2010	481906	779000	----	16515	1277421	845013	432408
2011	432408	629512	----	7445	1069365	543915	525450
2012	525450	186387	---	----	711837	340839	370998
2013	370998	337198	---	-----	708196	408170	300026
2014	300026	2400596	--	----	2700622	337241	2363381
2015	2363381	2847203	1558878	44610	6814072	4666570	2147502
2016	2147502	8602983	1005000	73197	11828682	10626874	1201808
	Total	**16432879**	**2563878**	**144465**	**19141222**	**17939414**	**1201808**

(ख) बैंक समाधान विवरणी

	Particulars		Amount
	Closing Balance as per Cash Book as on 31.12.16		1201808
Less	Bank Charges Dr.by bank on 30.09.09 but not entered in cash book		(-) 20
Less	Cash received ₹92010 on 22.10.13-Deposited in bank ₹88740 cash exp. ₹3269= ₹1 cash balance not shown in cashbook		(-) 1
Less	Chq.No. 7743183 dt. 31.10.13 debited by bank but not entered in CB		(-)10000
Add	01.09.16 (CB Page-24) Totaling Mistake		(+)50000
	Actual Grant Total should be	6197596	
	Wrong grand total in cash book	6147596	

Add	17.09.16 (CB Page-28) Totaling Mistake			(+)100
	Actual Grant Total should be		461100	
	Wrong grand total in cash book		461000	
	24.09.15 (CB-Page-7) Cash payment not taken in account in cash book			(+) 10000
Add	Chq issued but not presented in bank			
	Chq No.	Dated	Particulars	
	935114	09.12.14	Sanjay Nagraik	(+) 350
	436491	15.10.15	Awanti Media Ltd.	(+) 10000
	360351	04.10.16	Maan Singh Head Constable	(+) 1500
	360383	30.12.16	SDM Chamba	(+) 30000
	360385	30.12.16	Bhoomi Seva Dal	(+) 11000
	360386	30.12.16	Death relief	(+) 4000
	360387	30.12.16	JK Sweets, Bharmore	(+) 3000
	360388	31.12.16	Divisional Manager Forest Chamba	(+) 560005
	360389	31.12.16	DM FWD	(+) 606900
	360390	31.12.16	Awanti Media Ltd	(+) 10000
	Balance as per Pass Book as on 31.12.16			2488642

(ग) उक्त बैंक समाधान विवरणी में मुख्यतः निम्न लिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(i) Bank charges of ₹20 debited by bank on 30.09.2009 but not entered in cash book which may be enter in cash book now.

(ii) On 22.10.2013 Cash received ₹92010 out of which ₹88740 deposited in bank and ₹3269 shown cash payment balance ₹1 neither deposited in bank not shown cash in hand which may shown cash in hand now.

(iii) Cheque No. 7743183 dated 31.10.13 of ₹10000 debited by bank but the same was not entered in cash book which may be enter in cash book.

(iv) On 01.09.16 (Cash book page No. 24) ₹50000 totaling mistake (Actual total should be ₹6197596 wrongly entered in cash book ₹6147596 rectification of the same may shown in the cash book.

(v) On 17.09.16 (Cash book page No. 28) ₹100 totaling mistake (Actual Should be ₹461100 wrongly entered in cash book ₹461000 which may be correct in cash book now.

(vi) On 24.09.2015 cash payment of ₹10000 not in accounted for cash book which may account for cash book.
(vii) Cheque No. 935114 dated 09.12.14 of ₹350 and cheque number 436491 dated 15.10.15 of ₹10000 issued to M/S Sanjay Nagrik and M/S awanti Media Ltd. not debited till 31.12.16 may be taken back in cash book.

5 रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव व बैंक से मिलान न किया जाना

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि जब भी रोकड़ बही में कोई गलती हो जाती है अथवा किसी मद का गलत ईन्द्राज हो जाता है तो सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उसे काट कर एवं ठीक करके मद को पुनः लिखने के स्थान पर गलत ईन्द्राज के उपर फ्लूड का प्रयोग कर उसे ठीक कर दिया जाता है जो कि अनुचित प्रक्रिया है l इसके अतिरिक्त रोकड़ बही की जाँच में यह भी पाया गया कि कुछ माह के अन्त में कोई मासिक विवरण नहीं दिया गया है जिस कारण संस्था की वितीय स्थिति की जाँच/तैयार व बैंक से मिलान करने में अंकेक्षण को अधिक समय को उपयोग करना पड़ाl रोकड़ बही में पाई गई उक्त अनियमितताओं को अध्यक्ष एवं अतिरिक्त दंडाधिकारी भरमौर महोदय के साथ चर्चा के दौरान व अंकेक्षण अधियाचना: एम.के.(चम्बा-वृत्त)2017/267 दिनांक 16-11-17 द्वारा उप-मण्डल अधिकारी (ना) के ध्यान में लाया गया व उनके द्वारा समस्त अभिलेख ठीक ढंग से तैयार करने का आश्वासन दिया l अत:परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में जब कभी भी रोकड़ बही में किसी ईन्द्राज को ठीक करना है तो पुरानी प्रविष्टि को काट कर तथा नई प्रविष्टि को पुनः लिखकर एवं सक्षम अधिकारी से इसे प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर इसका पुनः ईन्द्राज किया जाए l इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में प्रत्येक माह में प्राप्त की गई कुल आय तथा माह के दौरान किए गए कुल व्यय के विवरण के उपरान्त अन्तशेष का भी विवरण देकर हस्तगत राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व बैंक में जमा राशि का विवरण भी दिया जाए तथा रोकड़ बही के शेष का बैंक से मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए l

6 निवेश

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि दिनांक 31-12-16 को मन्दिर निधि में ₹2488642 शेष थी जो बचत खाते में जमा थी l अत: यह सुझाव दिया जाता है कि उचित वितीय प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए बचत खाते में जमा राशि से अधिशेष राशि सावधि जमा योजना में निवेश की जाए

ताकि ब्याज की उच्च दर अर्जित की जाए जिससे न्यास के ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय होगी तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये l

7 सोना एवं चांदी

मन्दिर न्यास द्धारा उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के सोने व चांदी के रूप में प्राप्ति मन्दिर न्यास के खातों में नहीं दर्शाई गई है l इस सम्बन्ध में न्यास अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत आवश्यक प्रमाण पत्र परिशिष्ट–1 में संलग्न है l

8 मन्दिर न्यास का वार्षिक बजट तैयार न करना

मन्दिर न्यास श्री मणिमहेश जी के लेखों अवधि 25-07-09 से 31-12-2016 तक की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास का उक्त अवधि का वार्षिक बजट तैयार नहीं किया गया था ,जो कि हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 22 नियम 13 के अनुसार तैयार किया जाना अपेक्षित था l अत: मन्दिर न्यास का वार्षिक बजट तैयार न करने के बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व गत समस्त व्यय की सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इसका नियमानुकूलन करवाएं तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 02-08-08 को लिए निर्णय की अनुपालना में गत वर्षों के आय-व्यय के आंकड़ो के आधार पर आगामी वर्ष का बजट विहित समय में तैयार करवाकर सक्षम अधिकारी की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही व्यय सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना आगामी अंकेक्षण में अभिलेख सहित सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें l

9 रसीद बुकों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर तैयार न करना

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि मन्दिर न्यास कार्यालय द्वारा विभिन्न आय की वसूली हेतु प्रयोग की गई रसीद बुकों से सम्बन्धित रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया जोकि अनियमित है l बिना स्टॉक रजिस्टर के प्रयोग की गई रसीद बुकों व बकाया रसीद बुकों की स्थिति तथा वसूली गई आय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी l अत: स्टॉक रजिस्टर को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व उक्त रजिस्टर को अब तैयार करके अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये l

10 रसीद बुकों का अत्यधिक मात्रा में छपवाने के परिणामस्वरूप स्टेशनरी पर अनुपयोगी व्यय

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा जो दान हेतु रसीद बुकें छपवाई जाती है उन पर सम्बन्धित वर्ष की भी छपवाई करवाई जाती है और जो रसीद बुकें बच जाती है उनका प्रयोग अगले वर्ष नहीं किया जाता है l इस

प्रकार बची हुई रसीद बुकों का अनुपयोगी व्यय (wasteful expenditure) है l इस प्रकार मन्दिर न्यास को अनुचित रूप से प्रत्येक वर्ष वित्तीय हानि हो रही है जैसे कि वर्ष 2016 में खच्चरों की पंजीकरण हेतु 16 पैड व दान हेतु 1600 रसीद बुकों को न्यास द्वारा छपवाया गया व केवल 8 पैड व 732 रसीद बुकों का प्रयोग किया गया व शेष 8 पैड व 868 रसीद बुकों पर किया गया व्यय अनुपयोगी व्यय था l अतः यह सुझाव दिया जाता है कि रसीदों पर वर्ष न अंकित करवा करके इन रसीदों को आगामी वर्ष में उपयोग में लाया जा सके ताकि मन्दिर न्यास को हानि न हो तदानुसार कृत कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए l

11 अवधि 2007 से 2014 तक मन्दिर चढ़ावे का न वसूलना

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि अवधि 2007 से 2014 के दौरान मन्दिर न्यास द्वारा चढ़ावे को नहीं वसूला गया है l अंकेक्षण अधियाचना सं:एम.के.(चम्बा-वृत्त)2017/-270-271 दिनांक 20-11-17 द्वारा इस सन्दर्भ में अध्यक्ष/सदस्य सचिव मणिमहेश ट्रस्ट को अवगत करवाया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया l अतः यह प्रकरण आयुक्त मन्दिर के ध्यान में आवयश्क जाँच हेतु लाया जाता है l

12 मन्दिर न्यास मणिमहेश के अधीन अन्य आठ मन्दिरों के चढ़ावे को न वसूलना

अतिरिक्त मुख्य सचिव (भाषा एवं संस्कृति)हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं एल.सी.डी.-एफ(1)-5/2006 दिनांक 25-06-2015 के अनुसार मन्दिर न्यास मणिमहेश के साथ निम्नलिखित आठ मन्दिरों के समूहों को भी सम्मिलित किया गया है l अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि उक्त मन्दिरों में चढ़ावे हेतु गल्ले भी स्थापित कर दिए गए है परन्तु इन गल्लों से चढ़ावे को अंकेक्षण के दौरान तक एक बार भी नहीं वसूला गया है l अत: चढ़ावे को न वसूलने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए l

क्रम सं	**मन्दिर का नाम व स्थान**
1.	हर हर महादेव मन्दिर मणिमहेश (चौरासी मन्दिर समूह)भरमौर
2.	गणपति मन्दिर (चौरासी मन्दिर समूह)भरमौर
3.	धरमेश्वर महाराज मन्दिर (चौरासी मन्दिर समूह)भरमौर
4.	लखणा माता मन्दिर (चौरासी मन्दिर समूह)भरमौर
5.	नरसिहं महाराज जी मन्दिर (चौरासी मन्दिर समूह)भरमौर
6.	भरमाणी माता मन्दिर मलकौता,तहसील भरमौर
7.	महाकाली माता मन्दिर ,बन्नी सरौठा,तहसील भरमौर

8.	शिव मन्दिर मणिमहेश धार हेग,तहसील भरमौर

13 वर्ष 2016 में प्राप्त ₹14.10 लाख के चढ़ावे से सम्बन्धित गल्ला रजिस्टरों/विवरण के अभिलेख को प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2016 में राधाष्टमी के दिन ₹654660 व अन्य दिनों में ₹755459 चढ़ावे के रूप में एकत्रित की गई परन्तु अंकेक्षण में इन चढ़ावे से सम्बन्धित गल्ला रजिस्टर/विवरणी इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके अभाव में अंकेक्षण में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि उक्त चढ़ावे को सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा किस अभिलेख के आधार पर वसूला गया है जो कि एक गंभीर प्रकरण है l अतः यह प्रकरण उच्च अधिकारीयों के ध्यान में लाया जाता हैl अतः गल्ला रजिस्टर/विवरण न प्रस्तुत करने का औचित्य भी स्पष्ट किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए l

14 पार्किंग फीस ₹0.40 लाख को विलम्ब से जमा करवाना

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया कि वर्ष 2013 में मणिमहेश यात्रा के दौरान ₹40000 पार्किंग फीस पंचायत सहायक, कुगती द्वारा वसूली गई व उक्त राशि को उक्त कर्मचारी द्वारा दिनांक 24-09-15 को दो वर्ष के बाद जमा किया गया जो कि एक गंभीर मामला है l उक्त राशि को देरी से जमा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उत्तरदायी कर्मचारी से दण्ड ब्याज की वसूली करके मन्दिर निधि में जमा की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए l

15 मणिमहेश (डल झील) मन्दिर के चढ़ावे को प्रभावी रूप से न वसूलना

मणिमहेश मन्दिर चढावे की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015 की यात्रा के दौरान राधाष्टमी को ₹459984 व अन्य दिनों में केवल ₹70629 का चढ़ावा पूर्ण यात्रा के दौरान वसूला गया था व वर्ष 2016 में राधाष्टमी के दिन ₹654660 व अन्य दिनों में ₹755459 का चढ़ावा वसूला गया l अभिलेख की जाँच करने पर यह भी पाया गया कि यह यात्रा 15 जुलाई से 30 सितम्बर प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है, इस दौरान 2 लाख यात्री राधाष्टमी व लगभग 4-5 लाख यात्री अन्य दिनों में मणिमहेश दर्शन के लिए आतें है , इसमें जन्माष्टमी का भी मेला होता है, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मन्दिर न्यास प्रशासन द्वारा राधाष्टमी के दिन के अतिरिक्त अन्य यात्रा के दिनों में चढ़ावे की राशि को प्रभावी रूप से नहीं वसूला जा रहा है

जिससे मन्दिर न्यास को लाखों रूपए की हानि हो रही है जोकि एक अति गंभीर प्रकरण है l उक्त प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना सं एम.के.(चम्बा-वृत्त)2017/ 270-271 दिनांक 20-11-17 द्वारा अध्यक्ष/सदस्य सचिव को अवगत करवा दिया गया है l यह प्रकरण आयुक्त मन्दिर के ध्यान में भी विशेष कर लाया जाता है l अत: मणिमहेश डल झील पर चढ़ावे को राधाष्टमी के दिन के अतिरिक्त अन्य दिनों में भी प्रभावी रूप से वसूलना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए l

16 मन्दिर न्यास द्वारा ₹5.56 लाख का अनियमित व्यय

अंकेक्षण द्वारा जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार किया गया भुगतान मन्दिर निधि पर उचित प्रभार नहीं था :-

वा.सं/बिल न०	दिनांक	राशि	जिन्हें भुगतान किया	विवरण
शून्य	18-08-11	5000	एस.डी.ओ.(HPSEB)	साडा कार्यालय में बिजली का मीटर लगवाने हेतु प्रतिभूति राशि
शून्य	09-12-14	8565	निक्कू राम चौकीदार विश्राम गृह (लो0 नि0विभाग)	खाने हेतु राशन
8050 से 53	24-09-16	530703	मै०हि.प्र.स्टेट हेंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कारपोरेशन कुल्लू	यात्री निवास भरमौर जो कि पर्यटन विभाग का है के लिए रजाई,कम्बल,चादरे,सरहाने इत्यादि की खरीद l
5	09/16	20450	मै०पटियाल होम स्टे भरमौर	डॉ भारत शर्मा,सिक्स सिग्मा मेडिकल दिल्ली को ठहरने हेतु जबकि यात्रा के दौरान मेडिकल कैंप मणिमहेश डलझील होता है l
	कुल जोड़	**556153**		

उक्त अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने उपरान्त नियमित करवाया जाए अन्यथा उचित स्त्रोतों से ₹556153 वसूल कर मन्दिर निधि में जमा करवाया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए l

17 बिक्रीकर व किराए के रूप में₹1.61 लाख का अनियमित भुगतान

वाउचर संख्या शून्य माह 08/16 की जाँच करने पर पाया गया कि मै० एस.पी.रीसाइकिल इंदौर(म.प्र.) से 46 prefebicrated toilets की खरीद के लिए ₹1096289 का भुगतान किया गया l उक्त खरीद से सम्बन्धित कुटेशनो की जाँच करने पर पाया गया कि सभी फर्मो द्वारा दरें बिक्री कर के साथ दर्शाई गई थी जबकि उक्त फर्म द्वारा अपने बिल में ₹81311 बिक्री कर की अलग से वसूल की गई l इसके अतिरिक्त निविदाओं व SDM भरमौर के सप्लाई आर्डर सं: SDM/BMR/M.MAHESH.yatra/2016 दिनांक 09-08-16 की शर्त 3 के अनुसार toilets इस शर्त पर ख़रीदे जायेंगे कि उक्त toilets को F.O.R भरमौर तक पहुँचाया जायेगा, परन्तु इसके विपरीत मन्दिर प्रशासन ने उक्त toilets को पहुँचाने के लिए ₹80000 के किराये (freight) का भुगतान m/s RVS India Trans Solution Indore को भुगतान किया गया l इस प्रकार बिक्री कर व किराये के रूप में ₹161311/-(81311+80000) का अनुचित रूप से भुगतान किया गया l अत: उक्त ₹161311 को उचित स्त्रोत से वसूल कर मन्दिर निधि में जमा करवाया जाए तथा की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए l

18 निर्माण कार्य के बिलों से बिक्रीकर ₹0.47 लाख की कटौती न करना बारे

कार्य का नाम	C/O toilets at Manimahesh (dal lake)
वा. सं व माह	शून्य माह 09/15
सविदाकार का नाम	M/S Sulbh International Service Org.Chandigarh
भुगतान की गई राशि	₹1558898

प्रधान सचिव (आबकारी कराधान) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं .EXN –F(5)-1/2010- दिनांक 13-08-12 के अनुसार 3% की दर से बिक्रीकर निर्माण कार्यो के लिए सविदाकर से कटौती करना अनिवार्य है परन्तु उक्त निर्माण कार्य की जाँच करने पर पाया कि निर्माण कार्य के बिल से न्यास द्वारा नियमानुसार बिक्री कर की राशि की कटौती नहीं की गई है l अत: इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य से **₹**46767 बिक्रीकर की वसूली नहीं की गई जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त इसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए l

19 अयोग्य घोषित (Debar) फर्म को ₹0.43 लाख का अनियमित भुगतान

वाउचर संख्या शून्य माह 4/15 की जाँच करने पर पाया गया कि मै० सुरेंदर कुमार गाँव सतनाला को ₹42500 का भुगतान मणिमहेश यात्रा के दौरान हुई दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के शवों को पहुँचाने के कार्य हेतु भुगतान किया गया l उक्त फर्म को अध्यक्ष/एडीएम भरमौर के पत्र संख्या:ADM/BHARMOUR /manimahesh yatra 2014 / 3252 DATED

26-08-14 द्वारा अयोग्य घोषित (debar) कर दिया गया था l अतः उक्त अयोग्य फर्म (Debar) को भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए l

20 अग्रिम शेष ₹3300 को वापिस जमा न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि श्री केवल कृष्ण,नायब तहसीलदार को मणिमहेश यात्रा हेतु ₹8700 का भुगतान अग्रिम के रूप में चैक सं 935106 दिनांक 03-12-14 द्वारा किया गया, परन्तु उनके द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार केवल ₹5400 के बिल/वाउचर प्रस्तुत किए गए व ₹3300 के बिल/वाउचर प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त अधिकारी के पास ₹3300 बकाया है जो की मन्दिर प्रशासन द्वारा नहीं वसूले गए अतः अग्रिम शेष राशि को सम्बंधित से वसूल कर मन्दिर निधि में जमा किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए l

फर्म का नाम	राशि
मै० कार्तिक स्टूडियो भरमौर	1500
मै० शिवम सेल्फ हेल्प ग्रुप कुल्लू	2800
मै० मणिमहेश टी स्टाल	1100
जोड़	**5400**

21 पार्किंग ठेकेदार से ₹0.99 लाख की वसूली शेष व अन्य अनियमितताएं

(क) अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि मै० विजय कुमार कराटे फ्रेंड्स सिक्यूरिटी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, भरमौर को कमिशन के आधार पर पार्किंग का ठेका आवंटित किया गया l पार्किंग हेतु टेंडर की शर्त अनुसार ₹3.00 लाख ठेकेदार से प्रतिभूति (Refundable) राशि के रूप में प्राप्त करनी थी उक्त फर्म द्वारा प्रतिभूति राशि को चैक न० 807681 दिनांक 30-06-16 के माध्यम से मन्दिर न्यास में जमा किया गया l मन्दिर न्यास द्वारा जब उक्त चैक को बैंक में लगाया गया तो सम्बन्धित खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण उक्त चैक निरस्त (BOUNCE)कर दिया गया SDM , भरमौर के पत्र सं SDM/BMR/MISC/m.MAHESH yatra/2016-18353 दिनांक 30-11-16 द्वारा उक्त प्रतिभूति राशि को तुरंत जमा करने हेतु निर्देश दिए गए, परन्तु उक्त प्रतिभूति राशि को अंकेक्षण समाप्ति तक भी नहीं वसूला गया था पार्किंग का ठेका बिना प्रतिभूति राशि वसूल किए आबंटित कर दिया गया जो कि एक गंभीर अनियमितता है जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मन्दिर न्यास द्वारा

ठेकेदार को अनुचित रूप से लाभ पहुँचाया गया l अतः बिना प्रतिभूति राशि को वसूले कार पार्किंग आवंटित करने व ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए l

(ख) अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य फार्म को 9.9% दर की कमिशन के आधार पर आवंटित किया गया था l उक्त फर्म से निम्नलिखित विवरणानुसार ₹99315 बकाया के रूप में वसूलनी अभी भी अपेक्षित है जोकि एक गम्भीर मामला है l यदि उपरोक्त प्रतिभूति की राशि वसूल की गई होती तो उक्त बकाया राशि की वसूली प्रतिभूति राशि में से की जा सकती थी जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मन्दिर न्यास प्रशासन द्वारा न्यास आय को प्रभावी रूप से वसूलने हेतु गंभीर नहीं है व ठेकेदारों को अनुचित रूप से लाभ पहुँचाया जा रहा है l उक्त बारे अंकेक्षण अधियाचना सं : एम. के.(चम्बा-वृत्त)2017/268 दिनांक 17-11- 17 द्वारा मन्दिर प्रशासन को अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षण समाप्ति कोई उत्तर नहीं दिया गया l अतः निम्न बकाया राशि को दण्ड ब्याज सहित से वसूल कर मन्दिर निधि में जमा किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी उत्तरदायी अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए l

विवरण	राशि
कुल रसीद बुके जो फर्म/ठेकेदार को जारी की गई	**2720000**
उपयोग न की गई रसीद बुके	905300
जितनी राशि की रसीद बुके पार्किंग हेतु काटी गई	**1814700**
फर्म द्वारा जमा की गई राशि	1535730
फर्म द्वारा जमा करने को बकाया राशि	278970
फर्म की जो कमीशन बनती थी (9.9% की दर से)	179655
फर्म से अभी तक वसूली हेतु शेष राशि	**99315**

22 ₹0.48 लाख के क्रय के उपरान्त निविदाएँ प्राप्त करना

वा.सं शून्य दिनांक 05-12-14 की जाँच करने पर पाया गया कि ₹47650/- का भुगतान मै० मणिमहेश प्रिंटिंग प्रेस भरमौर को उनके बिल सं 451 दिनांक 10-09-14 द्वारा रसीद बुक,आईकार्ड की खरीद हेतु भुगतान किया गया है उक्त खरीद हेतु निम्नलिखित निविदाएँ प्राप्त हुई :-

क्रम सं	**फर्म का नाम**	**दिनांक**
1.	मै० कृष्णा प्रिंटिंग प्रेस सिहुन्ता	11-09-2014

2.	मै० ओम सती ओफ़सेट प्रिंटर चम्बा	11-09-2014
3.	मै० मणिमहेश प्रिंटिंग प्रेस भरमौर	11-09-2014

उक्त निविदाओं की जाँच करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त निविदाएँ खरीद के बाद प्राप्त की गई है l उपरोक्त तथ्यों को यह उक्त से स्पष्ट प्रतीत होता है कि न्यास द्वारा निविदा के आधार पर खरीद नहीं की गई व केवल औपचारिकता पूरी करने को ऐसा किया गया है जोकि अनियमित व गंभीर प्रकरण है l अत: खरीद के पश्चात निविदाएँ प्राप्त करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने उपरांत नियमित किया जाए व यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस खरीद में किसी प्रकार का अधिक भुगतान नहीं किया गया है तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए l

23 बिना निविदाएँ प्राप्त किए ₹3.21 लाख का अनियमित व्यय

एच०पी०एफ०आर०97 के अनुसार ₹3000 से अधिक की खरीद कुटेशन के आधार पर की जानी अपेक्षित है जिससे बाजारी प्रतियोगिता का लाभ उठाया जा सके, परन्तु निम्न मामलों में बिना निविदाएँ प्राप्त किए व्यय किया गया जोकि अनियमित है l अत: बिना कुटेशन के खरीद करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी कि स्वीकृति से इस अनियमितता को नियमित करवाकर अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि व्यय में किसी प्रकार का अधिक भुगतान नहीं किया गया हैl

वा./बिल संख्या	माह /दिनांक	फर्म/व्यक्ति का नाम	राशि	विवरण
शून्य	28-08-14	मै० अशोक कुमार होली	30400	जनरेटर सेट की ढुलाई
3	09/16	मै० मणिमहेश प्रिंटिंग प्रेस भरमौर	290640	रसीद बुकें,आई.कार्ड,फ्लेक्स बैनर
		योग	**321040**	

24 बिना बिल/वाउचर के 5.56 लाख का अनियमित व्यय

रोकड़ वही की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार बिल/वाउचर को आवयश्क जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी अत: इन

बिल/वाउचर को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये अन्यथा उत्तरदायी से उक्त राशि को वसूल कर मन्दिर निधि में जमा किया जाये l

वाउचर सं व माह	**फर्म का नाम**	**चैक सं**	**राशि**
शून्य, 08/10	मै० एस.के.कम्युनिकेशन जसूर	7743115	350000
शून्य,08/11	हि.प्र.बिजली बोर्ड	7743136	148000
शून्य,08/11	GSSS भरमौर	7743137	5000
शून्य 12/12	रोकड़ बही पृष्ठ सं-32	7743168	50000
शून्य 10/13	रोकड़ बही पृष्ठ सं-37	नकद	3269
		जोड़	**₹556269**

25 बिल/वाउचर पारित किए बिना ₹21.55 लाख का अनियमित व्यय

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित बिल/वाउचरो को पारित नहीं किया गया है जिसके अभाव में भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी l अत: बिल/वाउचरो को पारित किए बिना व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए l

वाउचर सं व माह	**फर्म का नाम**	**चैक सं**	**राशि**
शून्य,08/16	मै० एस.पी.रिसाइकिल इंदोर	360302	1096289
शून्य 09/16	मै० ग्रामीण विकास ट्रस्ट नॉएडा	360313	388842
शून्य,09/16	मै० मिलिट्री मेटल इंडस्ट्री फेरोजपुर	360317	669651
		कुल व्यय	2154782

26 मणिमहेश चढ़ावे का एक हिस्सा ₹0.57 लाख के हरसर पुजारियों के स्थान पर पंचायत सचिव को अनियमित भुगतान

मन्दिर आयुक्त मणिमहेश न्यास की अध्यक्षता में की गई बैठक दिनांक 08-07-15 की मद सं 5 के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि “राधाष्टमी” के दिन मणिमहेश डल लेक पर चढ़ावे के लिए अलग से दान पात्र लगाये जायेंगे और इस चढ़ावे का 50%हिस्सा मन्दिर न्यास में जमा किया जायेगा और 50% हिस्सा चार भागों यानि,हडसर पुजारी ,चेले संचूई ,दशनामी अखाडा,व चरपट नाथ में बराबर आवंटित किया जायेगा l   वर्ष 2015 में मणिमहेश डलझील पर राधाष्टमी के दिन कुल ₹459984 का चढ़ावा मन्दिर न्यास द्वारा एकत्रित किया गया जिसका 50%

हिस्सा ₹229992 मन्दिर न्यास में जमा किया गया व शेष 50%हिस्से को उक्त चार भागों में बाटना अपेक्षित था l अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि ₹57498 जो कि हडसर पुजारियों के स्थान पर पंचायत सचिव हडसर को चैक सं 360365 दिनांक 20-10-16 द्वारा भुगतान किया गया जोकि उचित नहीं था l पंचायत सचिव श्री सुनील कुमार द्वारा उक्त राशि की बैंक से दिनांक 20-10-16 नकद निकासी की गई व अंकेक्षण के दौरान तक उक्त राशि को पंचायत सचिव द्वारा हडसर पुजारियों में वितरित नहीं की गई थी l अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त राशि का सम्बन्धित पंचायत सचिव द्वारा दुरुपयोग कर लिया गया है जो कि एक गम्भीर अनियमितता है जिसे न्यास के उच्च अधिकारीयों के ध्यान में आवयश्क जाँच हेतु लाया जाता है l अतः उक्त राशि को सम्बन्धित पंचायत सचिव से दण्ड ब्याज सहित वसूल कर,हडसर पुजारियों में वितरित करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए l

27 सोलर लाइट लागत ₹13.42 लाख की खरीद से सम्बंधित अनियमितताएं

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि दिनांक 24-09-16 को ₹1341900/- का भुगतान मै० सूर्या शक्ति एनर्जी सिस्टम, गग्गल को 120 सोलर लाइट की खरीद हेतु भुगतान किया गया,जबकि मन्दिर न्यास की बैठक दिनांक 08-07-15 के प्रस्ताव सं 19 के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि उक्त खरीद केवल हिम उर्जा या इलेक्ट्रिक डिवीज़न PWD से की जाए, जबकि उक्त खरीद को सरकारी संस्था से न करके प्राइवेट संस्था से किया गया जोकि अनियमित था l अत: उक्त खरीद को मन्दिर न्यास के प्रस्ताव अनुसार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए l

28 विज्ञापन पर ₹0 . 15 लाख का अनियमित व्यय

अभिलेख की जाँच में यह पाया गया कि मन्दिर प्रशासन द्वारा दिनांक 24-04-15 को विज्ञापन पर **₹15000/-** का भुगतान वंदना कला मंच चम्बा को हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विन्यास अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों व भाषा एवं संस्कृति विभाग के पत्र संख्या LCD –E (3)-18/2010 दिनांक 26-12-12 के विपरीत किया गया जिस कारण उपरोक्त **₹15000/-**के व्यय को मन्दिर निधि पर उचित प्रभार नहीं ठहराया जा सकता l अत: अनियमित रूप में व्यय की राशि को सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये व भविष्य में अधिनियम के उपबन्धों की पालना करनी सुनिश्चित की जाये l

29 स्टॉक रजिस्टरों को प्रस्तुत न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा लाखों रूपए की खरीद की गई व अंकेक्षण अवधि में जितनी भी खरीद मन्दिर न्यास द्वारा की गई है उनसे सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए है , जिसके अभाव में अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी l अत: स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये l

30 अग्रिम रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्न विवरणानुसार अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया है, परन्तु इस भुगतान से सम्बन्धित अग्रिम रजिस्टर संस्था द्वारा नहीं लगाया है जिसके अभाव में अग्रिम के भुगतान व उनके समायोजन की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी अत:अग्रिम रजिस्टर तैयार न करने व इनका समायोजन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए l

वाउचर सं व माह	संस्था का नाम	राशि
शून्य,08/10	**HPSEB**	**100000**

31 सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि मन्दिर न्यास प्रशासन द्वारा न्यास के अधीन सभी मन्दिरों की सम्पत्ति (भूमि,भवन,सोना चांदी)इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख तैयार नहीं किया गया है जो कि एक गंभीर मामला है जिसे उच्च अधिकारियों के ध्यान में अपेक्षित कार्यवाही करवाने हेतु लाया जाता है l अत: सम्पति रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए l

32 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे

अंकेक्षण अवधि के दौरान यह पाया गया कि भण्डार में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन मन्दिर प्रशासन द्वारा नहीं करवाया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 15.1 के अनुसार प्रत्येक वर्ष भण्डार में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित है l अत:नियमो की अवहेलना करके प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अविलम्ब भण्डार की

प्रत्यक्ष सत्यापना करवाई जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये l

33 **लघु-आपति विवरणिका:-** यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है l

34 **निष्कर्ष :-** लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं आन्तरिक निरीक्षण की आवश्यकता है l

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9
फोन नं0–0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)315/2017–खण्ड–1–3414–3417 दिनांक, 16.05.20108 शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित की जाती है :–

पंजीकृतः 1 मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री मणिमहेश जी भरमौर, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

2 अतिरिक्त मुख्य सचिव (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हि0प्र0 सरकार शिमला–2

3 उपायुक्त चम्बा एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री मणिमहेश मन्दिर न्यास भरमौर, जिला चम्बा

4 निदेशक (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हि0प्र0 सरकार शिमला–171009

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9
फोन नं0–0177–2620881